राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, जयपुर राज0

क्रमांक: डीसी / डी–1 / सेम्पल परमिशन / 2011 / 301 दिनांक:– 23/05/2011

आदेश

राज्य भर से औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिये गये नमूनों को जांच हेतु राजकीय विश्लेषक, सेंट्रल ड्रग लेबोरेट्री,कोलकाता को भिजवाने हेतु डा. मनोज कुमार त्रिपाठी एवं श्री राकेश वर्मा औषधि नियंत्रण अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया है। I.V. fluids एवं अन्य नमूने जिनकी माइक्रोबायोलोजी जांच होनी है, के नमूनों को राज्य के औषधि नियंत्रण अधिकारियों से प्राप्त कर उन्हे व्यक्तिशः राजकीय विश्लेषक,सेंट्रल ड्रग लेबोरेट्री कोलकाता जाकर जॉच हेतु जमा करवाया जाना है।

अतः समस्त औषधि नियत्रण अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि वे जयपुर मुख्यालय आकर उक्त श्रेणी के औषधि के नमूनों को 25/26 मई 2011 को उक्त अधिकारियों को, नियमानुसार सुपुर्द करें जिन्हें श्री राकेश वर्मा एवं डा. मनोज कुमार त्रिपाठी व्यक्तिश लेकर कोलकाता प्रस्थान करेंगे।

यह आदेश प्रमुख शासन सचिव महोदय से अनुमोदन उपरांत जारी किये जा रहे है।

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांक: डीसी / डी–1 / सेम्पल परमिशन / 2011 / 301 दिनांक:– 23/05/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव , प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , राज0 जयपुर
2. निदेशक सेंट्रल ड्रग लेबोरेट्री कोलकाता को उनके पत्र क्रमांक 481 दिनांक 10.05.11 से संदर्भ में।
3. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक राजस्थान।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. डा. मनोज कुमार त्रिपाठी/ श्री राकेश वर्मा औषधि नियंत्रण अधिकारी को पालनार्थ।
6. सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों को भेजकर लेख है कि आपके द्वारा जांच हेतु लिये गये एवं सेंट्रल ड्रग लेबोरेट्री कोलकाता को भेजे जाने वाले I.V.fluids एवं अन्य नमूने जिनकी माइक्रोबायोलोजी जांच होनी है, के **Sealed Sample portions** एवं फार्म 18, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर मुख्यालय पर उक्त अधिकारियों को बुद्धवार अथवा बृहस्पतिवार दिनांक 26.05.2011 को दोपहर तक मुख्यालय पर कमरा नबर 311 में संभलवावें।
7. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेवसाइट पर डलवाने का श्रम करें।

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर